न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस

मुकदमा संख्या :– 57/2017

अनुवान मुकदमा –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा । प्रार्थी–

बनाम

रणवीर पुत्र मोहनलाल जाति बैरागी सा. बडोपल। अप्रार्थी–

निर्णय दिनांक 13.02.2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र प्रार्थी सक्षेंप में इस प्रकार से है कि ग्राम बडोपल की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 खाता सं. 293 पर रणवीर पुत्र मोहनलाल जाति बैरागी सा. बडोपल दर्ज खसरा नं. 1604/1457 हैक. रकबा 7.843 हैक. भूमि जो अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसे जमाबन्दी से विलोपित किया जाये। तथा अप्रार्थीगण नें उक्त खाता ग्राम बडोपल की जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 65 में खाता सं. 152 पर काल्पनिक रूप से दर्ज किया गया है। जो वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 293 पर दर्ज है। उक्त खाता बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदे ा से दर्ज किया गया है।उक्त खाता पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति से दर्ज करने पटवारी हल्का के विरूद्व एक अभियोग संख्या 184/23.04.16 को एफ.आई.आर. पुलिस थाना पीलीबंगा में दर्ज करवाई गई थी जिसमें कार्यावाही जैरकार है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खाता की कृशि भूमि पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अवैध रूप से अपने राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा ली थी तथा आज भी अप्राथीगण के नाम से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा ली थी तथा आज भी अप्रार्थीगण के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात है। अन्त में यह इस्तदुआ चाही की उक्त वर्णित भूमि ग्राम बडोपल के खसरा नं. 1604/1457 रकबा 7.843 हैक. भून्य होने के कारण निरस्तनीय है। जिसे जमाबन्दी से विलोपित किया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवान सदर् का दावा श्रीमान न्यायालय में जैरकार है जिसमें आज की तारीख पे ी मुर्करर है श्री मान जी दावा में वर्णित भूमि हम अप्रार्थी की पुख्ता आवटन कृशि भूमि है जो मुझे किमतन आंवटन हुई थी इस भूमि की समस्त कि ते खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इस भूमि बाबत कोई रकम बकाया नही है। समस्त कि ते खजानाराज में जमा करवाने के बाद इस भूमि की खातेदारी सनद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमे जारी हो गई है। एंव राजस्व रिकार्ड में जिसका अमल दरामद हो चुका है ंयह भूमि मुझे टी. सी आवटित हुई थी। जो लगातार राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। इस दावा में मुझ अप्रार्थी की अहम जबाबदेही है। इस भूमि का पुराना रिकार्ड निकालने के लिए प्रार्थना पत्र श्री मान तह तहसीदार (भू –अभि.) के यहा पे ा यिका

(2)

हुआ है। जिसके मिलते ही अप्रार्थी इस दावा में जबाब पे ा कर देगा। अतः प्रार्थना पत्र पे ा कर निवेदन है कि जब पुराना रिकार्ड नही मिल जाता तब तक जबाव हेतू मुझे एक मौका प्रदान कर उक्त दावा में तारीख पे ी दी जावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया मुताबिक प्रार्थी के जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 65 में खाता सं. 152 पर रकबा काल्पिनिक रूप से दर्ज किया गया है। जो वर्तमान में जमाबन्दी के खाता सं. 293 पर दर्ज है। उक्त खाता बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदे ा से दर्ज किया गया है। उक्त प्रवश्टिया पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अवैध रूप से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा ली है। इस बाबत पुलिस थाना पीलीबंगा में भी आई.पी.सी. 1860 अन्तर्गत धारा 420, 409, 467,468,471,167,120 बी प्रकरण सं. 184 दिनांक 23.04.2016 दर्ज है। तथा श्रीमान अतिरिक्त जिला कलैक्टर नोहर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जाच की गई सुची कम्पयुटराईजे ान के दौरान जमाबन्दी में अपने स्तर पर बिना आधार के खाते कायम कर दिये गयें खातो की सूची की क्र. सं. 07 पर नाम दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित होने के कारण स्वीकार कर खसरा नं. 1604/1457 रकबा 7.843 हैक रकबा भून्य होने के कारण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदे ा की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय सूनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official